

Information/Instruction

सूचना/अनुदेश

1. The candidates appearing for the Physical Endurance Test (P.E.T.) shall report at the mentioned venue 30 minutes prior to the commencement of the test and no candidate shall be allowed entry after time of commencement.

शारीरिक सहनशक्ति परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को परीक्षा के प्रारंभ होने से 30 मिनट पहले ही परीक्षा के स्थान पर रिपोर्ट करना होगा। परीक्षा के प्रारंभ होने के बाद किसी भी परीक्षार्थी को प्रवेश करने की आज्ञा नहीं दी जाएगी।

2. The candidate should bring the admit card duly issued by Office of the Deputy Conservator of Forests, Silviculture Division, Haddo in original alongwith valid proof of identity. Admission to the P.E.T. shall not be allowed without presentation of both the admit card and proof of identity.

उम्मीदवारों को अपने साथ उप वन संरक्षक, वन संवर्धन प्रभाग, हैडो द्वारा विधिवत् रूप से जारी किया गया प्रवेश पत्र तथा कोई भी विधिमान्य पहचान का प्रमाण पत्र भी लाना है। प्रवेश पत्र तथा पहचान के प्रमाण पत्र के बिना उम्मीदवारों को शारीरिक सहनशक्ति परीक्षा के लिए प्रवेश नहीं दी जाएगी।

3. Use of mobile phones or any other electronic / electrical gadget or device is strictly prohibited at the site of test. किसी भी तरह का मोबाइल फोन एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक / इलेक्ट्रिकल डिवाइस का प्रयोग परीक्षा स्थल पर विहित है।

4. The candidate found using or attempting to use any unfair means including canvassing in any form shall render himself/ herself liable for disqualification outrightly.

शारीरिक सहनशक्ति परीक्षा के समय किसी भी तरह के अनुचित कार्य या दखल देने पर अयोग्य ठहराने का जिम्मेदार वह स्वयं होगा।

5. Candidate must abide by instructions that will be given by the Chairman/Member of the Physical Endurance Test Committee during the P.E.T. In case of any type of misconduct by candidate his/her candidature shall be outrightly rejected and appropriate action including cancellation of his/her candidature may be done

शारीरिक सहनशक्ति परीक्षा के समय उम्मीदवारों का पर्यवेक्षण/देखरेख करने वालों द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करना होगा। अगर किसी भी प्रकार की बुराब्यवहार या उल्लंघन करते हुए पाए गये तो उन पर उपयुक्त कार्यवाही की जाएगी एवं उनकी उम्मीदवारी को भी रद्द कर दिया जाएगा।

6. Candidates are not entitled for any TA/DA for this purpose.

उम्मीदवार यात्रा भत्ता / महंगाई भत्ता का हकदार नहीं होंगे।

7. No change in date, time and venue of the Physical Endurance Test shall be allowed for any candidate under any circumstances. In case he/she fails to attend the said test on the prescribed date, time and venue, it shall be presumed that he/she is not interested for the test and his/her candidature shall be summarily treated as 'Cancelled. No further correspondence shall be made in this regard.

किसी भी परिस्थिति में शारीरिक सहनशक्ति परीक्षा का दिनांक, समय तथा स्थान को बदला नहीं जाएगा। यदि कोई उम्मीदवार निर्धारित दिनांक, समय और स्थान पर परीक्षा में उपस्थित नहीं होते हैं तो यह समझा जाएगा कि उसी परीक्षा में रुची नहीं है और उसकी उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जाएगा। इस संबंध में आगे कोई भी पत्राचार नहीं किया जाएगा।

8. This office shall not be responsible for late/non-receipt of this letter due to delay in postal transit.

उम्मीदवारों को यह प्रवेश पत्र डाक द्वारा देर से तथा नहीं मिलने की स्थिति में यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

9. The said PET may be cancelled / suspended for administrative reasons / natural calamity/other unforeseen reasons and in such case(s), further communication of information shall be made subsequently, via website <http://forest.and.nic.in>

यदि प्रशासनिक कारण या प्राकृतिक आपदा के कारण परीक्षा स्थगित किया जाता है तो शारीरिक सहनशक्ति परीक्षा का अगला दिनांक, समय तथा स्थान वेब साइट <http://forest.and.nic.in> पर सूचित कर दिया जाएगा।

10. The schemes of P.E.T. shall be as follows:-

Category	Males / पुरुष	Females / महिला
A	06 Km in 38 minutes / 38 मिनट में 06 Km	05 Km in 38 minutes / 38 मिनट में 05 Km
B	100 mtr with 30 kg weight in 48 second / 48 सेकेंड में 100 मीटर 30 के.जी. के साथ	100 mtr with 15 kg weight in 48 second / 48 सेकेंड में 100 मीटर 15 के.जी. के साथ
C	Long jump 12 feet/लम्बी कूद 12 फीट (in three chance)	Long jump 08 feet/ लम्बी कूद 08 फीट (in three chance)

11. Candidature of an applicant for the said post shall be considered for further tests, only when the applicant has participated & qualified in all the three categories of P.E.T. as decided by the P.E.T. Committee.

शारीरिक सहनशक्ति परीक्षा समिति द्वारा जो उम्मीदवार शारीरिक सहनशक्ति परीक्षा के सभी तीनों वर्गों में योग्यता प्राप्त करेगा, वही उम्मीदवारों को आगे का परीक्षा देने दिया जाएगा।

12. Mere participation in P.E.T. does not bestow any claim of the candidate for appointment to the post of Regular Mazdoor in the Division.

केवल शारीरिक सहनशक्ति परीक्षा में भाग लेकर उम्मीदवार, स्थाई मजदूर पद की नियुक्ति के लिए दावा नहीं कर सकता।

13. Any disputes, arising out of the said exercise of P.E.T. is subject to the jurisdiction of the Physical Endurance Test Committee. If any candidate is unsatisfied with the orders of P.E.T. Committee, in this regard he/she may prefer an appeal to Chairperson, Selection Committee, DCF, Silviculture Division, Haddo, whose orders shall be final and binding.

यदि उम्मीदवार शारीरिक सहनशक्ति परीक्षा के सीमा में हुए किसी विवाद के आदेश से असंतुष्ट है तो वह अध्यक्ष, चयन समिति, उप वन संरक्षक, वन संवर्धन प्रभाग, हैडो को अपील कर सकता है और उनके आदेश को ही निर्णायक माना जाएगा।

14. Any Mishap/accident occurring during the course of P.E.T. shall not be the liability of the Division of Silviculture, whatsoever.

शारीरिक सहनशक्ति परीक्षा के दौरान घटित किसी भी प्रकार का दुर्भाग्य / दुर्घटना के लिए वन संवर्धन प्रभाग को जिम्मेदार नहीं माना जाएगा।

(Chairman / अध्यक्ष)

Divisional Screening Committee/ प्रभागीय जांच समिति

Deputy Conservator of Forests / उप वन संरक्षक,

Silviculture Division / वन संवर्धन प्रभाग

Haddo / हैडो